



पत्रांक:-मान्यता /

दिनांक.

सेवा में /
प्राचार्य

स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्व० श्री थान सिंह रावत
राजकीय महाविद्यालय नैनीडांडा
पाँडी गढ़वाल।

महोदय,

निरीक्षण समिति की संस्तुति दिनांक 08.09.2017 और महाविद्यालय प्राचार्य द्वारा समिति को दिये गये 31 दिन्दुओं के सपथ पत्र के आधार पर कुलपति महोदय द्वारा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्व० श्री थान सिंह रावत, राजकीय महाविद्यालय नैनीडांडा जिला पाँडी गढ़वाल को अधिनियम की धारा 4 (f) एवं 46 (2) के अनुसार वी०एड० पाठ्यक्रम में- 50 सीट के साथ शैक्षणिक सत्र 2017-18 के लिए अस्थाई सम्यद्धता विस्तारण की स्वीकृति इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान की गयी है कि- शेष 04 फ़ैकल्टी की अतिशीघ्र नियुक्ति करनी होगी।

अन्य प्रतिबन्ध निम्नवत होंगे:-

1. एन०सी०टी०ई० / यू०जी०सी० / राज्य सरकार द्वारा निर्धारित शैक्षिक अर्हता धारक शिक्षकों की नियुक्ति करनी होगी।
2. एस०सी० / एस०टी० / ओ०बी०सी० के छात्रों को नियमानुसार आरक्षण देना होगा।
3. शिक्षकों को यू०जी०सी० द्वारा निर्धारित वेतन का भुगतान एकाउन्ट पे के माध्यम से करना होगा।
4. कुलपति महोदय एवं स्टेट्यूटरी बोर्ड द्वारा जारी आदेश/निर्देशों का पूर्णतया पालन करना होगा।
5. दूसरे विश्वविद्यालय का दूरस्थ शिक्षा अध्ययन केन्द्र संचालित नहीं करेगा।
6. विश्वविद्यालय द्वारा मांगी गई सूचनाओं को उपलब्ध कराने हेतु बाध्य होगा।
7. निरीक्षण के समय सभी शिक्षकों/शिक्षणोत्तर कार्मिकों के फ़ार्म-16 देने होंगे।

उपरोक्त प्रतिबन्धों का अनुपालन निम्नवत करना होगा:-

1. एक माह के अर्न्तगत फ़ैकल्टी के नियुक्ति पत्र एवं कार्यभार ग्रहण करने की सूचना विश्वविद्यालय को प्रेषित करनी होगी।
2. प्रत्येक तीन माह में फ़ैकल्टी को किये गये वेतन भुगतान का बैंक स्टेटमेन्ट विश्वविद्यालय को प्रेषित करना होगा।
3. स्वीकृत सीटों पर दिये गये प्रवेशों में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण सहित सूची विश्वविद्यालय को तीन माह के अर्न्तगत उपलब्ध करानी होगी।
4. उपरोक्त का अनुपालन न करने पर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

भवदीय

डा०(ए. के. मोहन्ती)
संयुक्त कुलसचिव, मान्यता

- प्रतिलिपि:-
1. उपकुलसचिव परीक्षा।
 2. प्रति कुलपति, कुलपति महोदय के सादर सूचनार्थ।
 3. गार्ड फाइल।

डा०(ए. के. मोहन्ती)
संयुक्त कुलसचिव, मान्यता